

पंचायत उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

वाद प्रविना पत्र सं.	धारा अन्तर्गत	ग्राम	तहसील
33/2020	53, 88 RTI	बारां	बारां
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
कृष्णशंकर कोठे	बनाम	सुप्रीमोड	

वकील :- श्री Y.S. अरुण एड्स आदेश पत्रक वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
13/3/20	<p>श्री कोठेकर स्वयं अरुण एड्स ने वादीपक्ष की ओर से वाद पत्र पेश किया। रिपोर्ट जमा देवी गई कोई कमी नहीं है। दुबे रिजिस्टर किया जाकर परिषदीय को तलब किया जाये। पत्रावली वास्ते तलबी दि. 30/4/20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">[Signature] उप खण्ड अधिकारी बारां</p>	19/6/20 30/7/20
30/7/20	<p>पत्रावली वास्ते तलबी दि. 30/4/20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">[Signature] उप खण्ड अधिकारी बारां</p>	
12/10/20	<p>पत्रावली वास्ते तलबी दि. 30/4/20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">[Signature] उप खण्ड अधिकारी बारां</p>	
28/1/21	<p>पत्रावली वास्ते तलबी दि. 30/4/20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">[Signature] उप खण्ड अधिकारी बारां</p>	
8/3/21	<p>पत्रावली वास्ते तलबी दि. 30/4/20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">[Signature] उप खण्ड अधिकारी बारां</p>	
30/4/21	<p>पत्रावली वास्ते तलबी दि. 30/4/20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">[Signature] उप खण्ड अधिकारी बारां</p>	

सुप्रीमोड

कार्यवाही एवं आदेश

दिनांक  
28-4-25

विवासीय अधिकारी ~~.....~~ को  
में रहने से पूर्वगत दिनांक 11-6-25  
को प्रस्तुत है।

उपखण्ड अधिकारी कार्यालय

11-6-25

पत्रावली आज पेशा है। वहीच वादी उपजायद  
वादी उपजायद नहीं। लक्ष्य जादू के पूर्व के उपजायद  
अतएव दिनांक 18-8-25 को पत्रावली वादी लक्ष्य वादी  
दिनांक 18-8-25 को पेशा है।

18-8-25

पत्रावली पेशा है। वहीच वादी / वादी एवं प्रतीवादी  
स्वयं उपजायद नहीं। वहीच वादी / वादी एवं प्रतीवादी के  
तीन बात जावाज न्याय के हैं। वावजूद अचानक  
वहीच वादी / वादी एवं प्रतीवादी न्यायालय के उपजायद  
नहीं। अतः वहीच वादी / वादी का वाद अदम्य हाजमी  
अदम्य पेशी के वासीज लिखा जाया है। पत्रावली  
केतव्य सुनाए दोस्त बाद वासीज वहीच वादी  
वासीज दफ्तार है।

उपखण्ड अधिकारी  
कार्यालय